न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 47/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमती सीतादेवी पत्नी बीजाराम उर्फ घनश्याम जाति मेघवाल निवासी मेवडा तहसील डेगाना हाल निवासी किला तहसील रियाबडी।		राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार भैरून्दा।

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:22.01.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 25/2016 सरकार बनाम सीतादेवी में निर्णय दिनांक 16.12.2016 के तहत मौजा किला के खसरा नं. 195 व 196 बारानी–2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 06.04.2017 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार भैरून्दा के प्रकरण सं. 25/16 के फर्द अहकाम दिनांक 26.10.16 से 16.12.16 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 16.12.16 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, उप तहसीलदार भैरून्दा के पत्र क्रमांक 366–67 दिनांक 16.12.16 की फोटोप्रति, तहसीलदार रियाबडी के पत्र क्रमांक 8593 दिनांक 28.9.16 की फोटोप्रति, नजरी नक्शा ग्राम किला की फोटोप्रति तथा मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को न तो उक्त प्रकरण का नोटिस उप तहसीलदार भैरून्दा द्वारा व्यक्तिगत ही दिया न ही तामील कुनिन्दा ने अपीलांट व अपीलांट के शामिल रहने वाले किसी व्यक्ति से तामील करवायी। अपीलांट को निर्णय जैर अपील की तारीख से निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख दिनांक 14.03.17 तक कोई जानकारी प्राप्त नही थी व सर्वप्रथम जानकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पढाने से दिनांक 15.3.17 को हुई। जिससे नागौर आकर कानूनी राय लेकर अपील तैयार करवा कर बिना किसी देरी के अपील पेश की। जिसे अंदर मयाद सुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व आदेश जैर अपील बिना विधिवत नोटिस की तामील करवाये, बिना व्यक्तिगत तामील करवाये, बिना सूचना दिये व बिना साक्ष्य सबूत लिये, बिना मौका देखे एवं बिना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध खसरा पत्रक व गिरदावरियो का अवलोकन किये, विवादित अतिक्रमण से संबंधित रकबा अपीलांट के हक मे राजकीय परिपत्रो द्वारा नियमन योग्य होते हुए भी त्रुटिपूर्वक आदेश बेदखली के पारित किये गये है। जिसके विरूद्व अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है व आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर पत्रावली को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाने योग्य है कि अपीलांट

अपर कलक्टर, नागौर

के कब्जे का मौका निरीक्षण कर राजकीय परिपत्रो के अनुसार अपीलांट नियमन करवाने का अधिकारी हो तो नियमन किया जावे, के निर्देश दिये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट भूमिहीन, अनुसूचित जाति का सद्भाविक काश्तकार है। बारानी काबिल काश्त नियमन योग्य भूमि है तथा विवादित रकबा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक हित व उपयोग का नही है। न ही विवादित रकबा रास्ता, नाडी, अंगौर, औरण, जोहड ही है। न ही गै.मु. भाकर है। ऐसी स्थिति मे रकबा मुतनाजा बारानी काबिल काश्त होने से नियमन योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजकीय परिपत्रो के तहत 195 रकबा 4 बीघा व खसरा नं. 196 का रकबा 3 बीघा नियमन किये जाने के आदेश, आज्ञा, निर्देश दिये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट उक्त भूमि पर संवत 2000 से पहले से काबिज काश्तकार है तथा पटवारी ने मौके पर आकर कभी गिरदावरिया नही की व कुछ वर्षो मे अपीलांट हक मे खसरा पत्रक मे इन्द्राज भी किये है तथा अपील की परिस्थितियो को देखते हुए अपील स्वीकार योग्य है।

{2}(IV)–पटवारी ने आदेश जैर अपील पारित होने की जानकारी दिये बिना व बिना पूर्ण जानकारी के राजकीय योजनाओ का लाभ पहुचाने का कथन करते हुए छल कपट से खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा कर अपने पास प्राप्त कर लिये, अपीलांट को संदेह है कि पटवारी ने मौके पर अपीलांट को भौतिक बेदखल किये बिना ही किसी पडोसी को व अन्य व्यक्ति को लाभ पहुचाने के लिये व अपीलांट को स्वेच्छाया हानि पहुचाने के लिये अपराधिक नियत से मिथ्या बेदखली रिपोर्ट बनाते हुए अन्य किसी राजस्व कर्मचारी को अंधेरे मे रख कर मिथ्या बेदखली की रिपोर्ट बनायी है। अपीलांट को यह संदेह है कि पटवारी अपने चहेते व्यक्ति को विवादित भूमि का लीज व आवंटन बहुत बडी राशि प्राप्त कर आवंटन व लीज करवाना चाहते है। इसलिये अपीलांट को भौतिक बेदखल किये बिना ही बेदखल करना दर्शाना चाहते है व यदि पत्रावली मे ऐसी कोई रिपोर्ट पटवारी ने शामिल की है अथवा कार्यालय मे बनायी है तो वह बेदखली रिपोर्ट मिथ्या है तथा ऐसी मिथ्या बेदखली रिपोर्ट को नजर अंदाज किया जाकर मौके पर अपील के निर्णय से पूर्व मौका कमीश्नर भेज कर अपीलांट के कब्जे बाबत तथ्य की रिपोर्ट मंगवायी जाकर निर्णय करने हेतु प्रार्थना है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा किला में स्थित बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके किला के खसरा नंबर 195 व 196 बारानी–2 भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। नियमन से संबंधित कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है। जिसके लिये पृथक से कार्यवाही हेतु अपीलांट स्वतंत्र है। मौजूदा राजस्व रेकर्ड के अनुसार आराजी भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलांट का अनाधिकार कब्जा होना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर नागौर
अपर कलक्टर,
नागौर